न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 03/2018 (रावि प्रकरण सं026/2018)
दायरा तिथि : 12.02.2018
निर्णय तिथि : प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2018 फाईनल डिक्री दि0 10-6-2019

वादी :–
भंवरलाल पुत्र शंकरजी
जाति खटीक, निवासी बेडा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. रमेश पुत्र देवाजी
2. भगवानारामजी पुत्र देवाजी
3. कमला पुत्री देवाजी
तमाम जातिगण खटीक निवासीगण बेडा
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री जयकिशोर लखारा — अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण — अनुपस्थित।
3. तहसीलदार, बाली — पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 10-6-2019

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगाय 03 के संयुक्त सहखातेदारी में धारित की जा रही भूमि सरहद मौजा बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा तहसील बाली के खसरा नंबर 1428 रकबा 0.3500 हैक्टर व खसरा संख्या 1429 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 0.6000 हैक्टर कुल लगानी 4.20 रूपये के संबध में अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की। तथा बतौर साक्ष्य गवाह पी.डब्लू.–01 वादी भंवरलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी के वादपत्र में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। प्रतिवादीगण संख्या एक लगाय तीन सम्मन तामील होने के बावजुद उपस्थित नहीं रहने से प्रतिवादी संख्या एक लगाय तीन के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.03.2018 को अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–04 तहसीलदार, बाली उक्त विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जबाव पेश नहीं करना चाहा। जिससे प्रतिवादी संख्या–04 पेरोकार सरकार का भी जबाव अवसर बन्द करते हुये प्रकरण को वादी पक्ष की एक पक्षीय शहादत के लिये रखा गया। वादी पक्ष की और से दिनांक 09.04.2018 को गवाह वादी श्री भंवरलाल के शपथ–पत्र पी.डब्लू.–01 दर्ज कराये गये। तथा इसके अतिरिक्त कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहने से दिनांक 09.04.2018 को वादी पक्ष की साक्ष्य बन्द करते हुये प्रकरण में बहस समायत कर दिनांक 10.04.2018 को बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना के लिये इजराय पत्रावली संस्थापित कर तहसीलदार, बाली से विभाजन के प्रस्ताव मांगे गये। तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2018/ 2762 दिनांक 25.10.2018 से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित कियेः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर मे)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
भंवरलाल पुत्र शंकरजी कौम खटीक सा. देह खातेदार (वादी)	1428/1	0.05	बारानी अव्वल	0.35	हरा
	1429	0.25	बारानी अव्वल	1.75	
	02	0.30	बारानी अव्वल	2.10	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली जिला-पाली (राज.)

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार—2

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या 03/2018 अनवान भंवरलाल बनाम रमेश वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
रमेश भगवानाराम पि0 देवा कमला पुत्री देवा कौम खटीक सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)	1428	0.30	बारानी अव्वल	2.10	आसमानी

तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री जयकिशोर लखारा ने प्राप्त विभाजन रिपोट से सहमति जताते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय सरहद मौजा ग्राम बेडा प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1428 रकबा 0.35 हैक्टर व खसरा नंबर 1429 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 0.60 हैक्टर कुल लगानी 4.20 रूपये के संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः—

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म भूमि	लगान	नजरी नक्शा मे वर्णित रंग
भँवरलाल पुत्र शंकरजी कौम खटीक सा. देह खातेदार (वादी)	1428/1 1429	0.05 0.25	बारानी अव्वल बारानी अव्वल	0.35 1.75	हरा
	02	0.30	बारानी अव्वल	2.10	
रमेश भगवानाराम पि0 देवा कमला पुत्री देवा कौम खटीक सा. देह खातेदार (प्रतिवादीगण)	1428	0.30	बारानी अव्वल	2.10	आसमानी

वादी के हिस्से/बंट में रखी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखलन्दाजी नही करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 4.20 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री पर्चा अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये नायब तहसीलदार, बेडा व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner